

पुंछी आयोग की रपिर्ट

प्रलिमिंस के लयि:

पुंछी आयोग की रपिर्ट, CJI, अंतर-राज्यीय परषिद (ISC) की स्थायी समति, केंद्र-राज्य संबध ।

मेन्स के लयि:

केंद्र-राज्य संबधों पर पुंछी आयोग की सफिरशें ।

चर्चा में क्यो?

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्र-राज्य संबधों पर [पुंछी आयोग की रपिर्ट](#) के संबध में राज्यों से टपिपणी मांगने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है ।

पुंछी आयोग:

- केंद्र सरकार ने पुंछी आयोग का गठन अप्रैल 2007 में [भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश \(CJI\) मदन मोहन पुंछी](#) की अध्यक्षता में किया था ।
- आयोग ने [संघ और राज्यों के मध्य मौजूदा व्यवस्थाओं की जांच और समीक्षा](#) की, साथ ही वधायी संबधों, प्रशासनिक संबधों, राज्यपालों की भूमिकाओं, आपातकालीन प्रावधानों सहित सभी क्षेत्रों में शक्तियों, कर्तव्यों एवं जमिंदारियों के बारे में विभिन्न न्यायालयों के फैसलों की जांच एवं समीक्षा की ।
- आयोग ने [मार्च 2010 में सरकार को अपनी सात खंडों की रपिर्ट प्रस्तुत](#) की ।
- अंतर-राज्यीय परषिद (ISC) की स्थायी समति ने अप्रैल 2017, नवंबर 2017 और मई 2018 में आयोजित अपनी बैठकों में पुंछी आयोग के सुझावों पर वचिर किया ।

पुंछी आयोग की प्रमुख सफिरशें:

- **राष्ट्रीय एकता परषिद:**
 - इसने आंतरिक सुरक्षा (जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह-भूमि सुरक्षा विभाग) से संबधित मामलों के लयि एक अधिक्रमण संरचना के निर्माण की सफिरशि की । यह भी प्रस्तावति किया कि इसे 'राष्ट्रीय एकता परषिद' के रूप में जाना जा सकता है ।
- **अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 में संशोधन:**
 - इसमें संवधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 में संशोधन का सुझाव दिया गया ।
 - अनुच्छेद 355 कसि भी बाहरी आक्रमण के खिलाफ राज्य की रक्षा के लयि केंद्र के कर्तव्य से संबधित है और अनुच्छेद 356 राज्य व्यवस्था की वफिलता के मामले में राष्ट्रपति शासन लागू कयि जाने से संबधित है ।
 - इन सफिरशियों का उद्देश्य केंद्र की शक्तियों के दुरुपयोग की रोकथाम कर राज्यों के हतियों की रक्षा करना है ।
- **समवर्ती सूची के वषिय:**
 - आयोग ने सफिरशि की कि [समवर्ती सूची](#) के अंतर्गत आने वाले वषियों पर वधियक पेश करने से पहले अंतर-राज्यीय परषिद के माध्यम से राज्यों से परामर्श कयि जाना चाहयि ।
 - समवर्ती सूची तीन सूचियों में से एक है; इसमें उन मामलों का उल्लेख हैजनि पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं ।
- **राज्यपालों की नयिकर्ता और नषिकासन:**
 - राज्यपाल को अपनी नयिकर्ता से कम-से-कम दो वर्ष पहले सक्रयि राजनीति (स्थानीय स्तर पर भी) से दूर रहना चाहयि ।
 - राज्यपाल की नयिकर्ता करने में राज्य के मुख्यमंत्री का मत होना चाहयि ।
 - एक समति का गठन कयि जाना चाहयि जसि राज्यपालों की नयिकर्ता का कार्य सौपा जाए । इस समति में परधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबधित राज्य का मुख्यमंत्री शामिल हो सकता है ।
 - नयिकर्ता की अवधि पांच वर्ष के लयि होनी चाहयि ।

- राज्यपाल को केवल राज्य विधानमंडल द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है।
- संघ की संधिकरण की शक्ति:
 - राज्य सूची में मौजूद मामलों से संबंधित संधियों के संबंध में संघ की शक्ति को वनियमिति किया जाना चाहिये।
 - इस तरह राज्यों को उनके आंतरिक मामलों में अधिक प्रतनिधित्व प्राप्त होगा।
 - आयोग ने निर्धारित किया कि राज्यों को उनके मुद्दों के संदर्भ में तैयार की गई अधिक संधियों में शामिल होना चाहिये। यह सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सुनिश्चित करेगा।
- मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति:
 - मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाए जाने चाहिये ताकि इस पहलू पर राज्यपाल की विकाधीन शक्तियाँ सीमित रहें।
 - चुनाव पूर्व गठबंधन को एकल राजनीतिक दल माना जाता है।
 - राज्य सरकार के गठन के दौरान वरीयता का क्रम नमिनलिखित होना चाहिये:
 - सबसे अधिक संख्या वाले सबसे बड़े चुनाव-पूर्व गठबंधन वाले समूह/गठबंधन।
 - अन्य पार्टियों के समर्थन वाली अकेली सबसे बड़ी पार्टी।
 - सरकार में सम्मिलित होने वाले कुछ दलों के साथ चुनाव के बाद गठबंधन।
 - सरकार में शामिल होने वाले कुछ दलों के साथ चुनाव के बाद गठबंधन और शेष बाह्य समर्थन देने वाली नरिदलीय पार्टियाँ।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/punchhi-commission-s-report)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/punchhi-commission-s-report>

